



30

समक्ष श्रीमान राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर, कैम्प भोपाल (म.प्र.)

निगरानी प्र.क्र.

I/निगरानी/विदिशा/भू. रा०/2018/01348

शिवराज सिंह, आयु लगभग 40 वर्ष

आत्मज श्री खिलान सिंह राजपूत

निवासी— ग्राम मनाखेड़ी, तहसील सिरोंज,

जिला विदिशा (म.प्र.)

आवेदक

विरुद्ध

गुड़ी बाई पुत्री श्री जयराम

पत्नी श्री रामबाबू काढी

निवासी— ग्राम लालपुर, तहसील अशोक नगर,

जिला अशोक नगर (म.प्र.)

कृष्ण बाई पुत्री श्री जयराम,

पत्नी श्री वृदावन काढी,

निवासी— ग्राम भरनाखेड़ा, तहसील शुक्रगाबाद,

जिला विदिशा (म.प्र.)

3. सोनू आयु लगभग 24 वर्ष

आत्मज श्री खिलान सिंह काढी,

4. गजराज सिंह आत्मज श्री जयराम काढी,

5. खिलान सिंह आत्मज श्री जयराम काढी

क्र. 3 से 5 निवासीगण— ग्राम मनाखेड़ी,

तहसील सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.)

6. राजेन्द्र सिंह आत्मज श्री पृथ्वी सिंह भावसार

निवासी— ग्राम भौंरिया हाल नयापुरा,

सिरोंज, जिला विदिशा (म.प्र.)

7. प्रेम बाई पत्नी स्व. श्री जयराम काढी,

निवासी— ग्राम मनाखेड़ी, तहसील सिरोंज,

जिला विदिशा (म.प्र.)

8. विदिशा जिला—सहकारी कृषि ग्रामीण विकास

बैंक मर्यादित, विदिशा, शाखा सिरोंज,

जिला विदिशा (म.प्र.)

अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959

आवेदक न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सिरोंज, जिला विदिशा द्वारा प्रकरण क्र. 47/अप्रैल/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2018 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है।

2

2

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1348

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|--|---|
| 5-12-18 | <p>आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री राजेश गिरी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26.2.19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: center;">(3)</p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p> | |